एएचएलएमएडी----------
आदेश की तिथिः 21.02.2026
पी.एफ. दाखिल करने की तिथिः 25.02.2026
जारी करने की तिथिः 28.02.2026
संलग्न दस्तावेजों की सं.: लागू नहीं
सुनवाई की अगली तिथिः 18.04.2026
(दस्ती)

सिविल नाजिर/एस.एच.ओ.
प्रक्रिया सर्वर का नामः ....
प्रक्रिया की संख्याः ....
वापसी की तिथिः ....

प्रतिवादी की उपस्थिति की आवश्यकता हेतु उद्घोषणा
(सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V, नियम 20 के तहत)
श्री पुलस्त्य प्रमाचला, जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय)-01, कमरा नं. 01,
नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के न्यायालय में

कमरा नं.: 01 केस सं.: **CS(COMM.)** 176/2024

केस का शीर्षकः मैसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम कुशल सिंह एवं अन्य

सेवा में, 1. **कुशल सिंह**, मकान नं. 400/05, एस पी मार्ग, चाणक्यपुरी, ताज पैलेस होटल के पास, नई दिल्ली-110021; **अन्य पताः** कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर 496 उद्योग, विहार फे.-III, गुड़गांव हरियाणा 122016; **अन्य पताः** फ्लैट नं. 30, 3री मंजिल, ब्लॉक-सी6, पॉकेट-4, सेक्टर 34 रोहिणी, नई दिल्ली-110085

जैसाकि उपरोक्त वादी ने आपके विरुद्ध एक वाद दायर किया है। आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप स्वयं या अपने वकील के माध्यम से 18.04.2026 **को पूर्वाह्न** 10:00 **बजे** इस न्यायालय में उत्तर देने के लिए उपस्थित हों।
ध्यान दें कि, यदि आप ऊपर उल्लिखित तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई की जाएगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा।
आज **दिनांक 28 फरवरी,** 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के तहत जारी किया गया।

पुलस्त्य प्रमाचला
जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय)-01
कमरा नं. 01, मुख्य भवन, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

एएचएलएमएडी ----------
आदेश की तिथिः 21.02.2026
पी.एफ. दाखिल करने की तिथिः 25.02.2026
जारी करने की तिथिः 28.02.2026
संलग्न दस्तावेजों की सं.: लागू नहीं
सुनवाई की अगली तिथिः 18.04.2026
(दस्ती)

सिविल नाजिर/एस.एच.ओ.
प्रक्रिया सर्वर का नामः ....
प्रक्रिया की संख्याः ....
वापसी की तिथिः ....

प्रतिवादी की उपस्थिति की आवश्यकता हेतु उद्घोषणा
(सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V, नियम 20 के तहत)
श्री पुलस्त्य प्रमाचला, जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय)-01, कमरा नं. 01,
नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के न्यायालय में

कमरा नं.: 01 केस सं.: **CS(COMM.)** 184/2024

केस का शीर्षकः मैसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम रविंद्र कुमार एवं अन्य

सेवा में, 1. **रविंद्र कुमार**, 146 अमर नाथ हाउस, दादा भैया चौक के पास, महिपालपुर, नई दिल्ली, दिल्ली-110037; अन्य पताः प्लॉट नं. बी-9, 5वीं मंजिल, सेक्टर 3, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301; अन्य पताः फ्लैट नं. 19, 4थी मंजिल, पॉकेट 5, ब्लॉक बी 12, सेक्टर 35 रोहिणी, नई दिल्ली

जैसाकि उपरोक्त वादी ने आपके विरुद्ध एक वाद दायर किया है। आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप स्वयं या अपने वकील के माध्यम से 18.04.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे इस न्यायालय में उत्तर देने के लिए उपस्थित हों।
ध्यान दें कि, यदि आप ऊपर उल्लिखित तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई की जाएगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा।
आज दिनांक 28 फरवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के तहत जारी किया गया।

पुलस्त्य प्रमाचला
जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय)-01
कमरा नं. 01, मुख्य भवन, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड,

सीआईएनः L74899DL1993PLCO56421,
पंजीकृत कार्यालयः ए-30, एस-11, दूसरी मंजिल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली, दिल्ली 110048, भारत,
ईमेल आईडीः pgindustry93@gmail.com

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र खो गए हैं/गुम हो गए हैं और उनके पंजीकृत धारकों ने कंपनी से डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।

फोलियो क्रमांक	शेयरधारक का नाम	शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक	विशिष्ट क्रमांक		शेयरों की संख्या
			से	तक	
0000779	नरेंद्र शाह	45523-45550	4422221	4425020	2800
0000779	नरेंद्र शाह	45559-45576	4425821	4427620	1800
0000779	नरेंद्र शाह	45581-45794	4428021	4449420	21400
				कुल	26000

जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों की खरीद या किसी भी प्रकार के लेन-देन के विरुद्ध कार्य करें। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कंपनी से कोई दावा है, तो उसे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त पते पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अपना दावा दर्ज कराना होगा। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरित/-
दिनांकः 16.04.2026 साकेत डालमिया
स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक

HDFC BANK
We understand your world

विशेष परिचालन विभाग, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002

कब्जा सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 13.12.2022 को मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों 1.मैसर्स गो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड (ऋणधारक) 2. श्री ललित कुमार झा (गारंटर और बंधककर्ता)3. सुश्री मीनू झा (गारंटर और बंधककर्ता) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रुपये 2,62,19,803.24 (रुपये दो करोड़ बासठ लाख उन्नीस हजार आठ सौ तीन और पैसे चौबीस मात्र), जो कि 01.12.2022 तक बकाया थी, उसे भविष्य के ब्याज, लागत और आकस्मिक खर्चों के साथ भुगतान का निर्देश दिया था। ऋणधारकों उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः अब ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने आज 10अप्रैल 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर/बंधककर्ता एवं सामान्य जनता को सतर्क किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार न करें, तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार रु. 2,62,19,803.24 (रुपये दो करोड़ बासठ लाख उन्नीस हजार आठ सौ तीन और पैसे चौबीस मात्र), जो कि 01.12.2022 तक बकाया की राशि और उस पर भविष्य के ब्याज, लागत और आकस्मिक खर्चों के लिये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारकों का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. प्रथम तल पर हॉल, छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 1520 वर्ग फुट, प्लॉट नं. 28 का हिस्सा, बंगलो क्राउन प्लाजा, न्यू टाउनशिप, तहसील और जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित।
2. प्रथम तल पर व्यावसायिक हॉल, छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 1600 वर्ग फुट, प्लॉट नं. 28 का हिस्सा, बंगलो क्राउन प्लाजा, नीलम बाटा रोड, न्यू टाउनशिप, तहसील और जिला फरीदाबाद, हरियाणामें स्थित ।

स्थानः फरीदाबाद, दिनांकः 10.04.2026 **अधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.**

BEFORE THE REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI
In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008
AND
In the matter of Egrowth Technologies LLP
having its Registered Office at 14, 3rd Floor, 14 Street 3, Shanti Niketan, South Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110021

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public pursuant to the provisions of Section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 17(4) of the Limited Liability Partnership Rules, 2009, that Egrowth Technologies LLP (LLPIN: AAR-1841), a Limited Liability Partnership incorporated under the LLP Act, 2008, proposes to shift its Registered Office from the National Capital Territory (NCT) of Delhi to the State of Haryana, (Gurugram) in terms of the resolution passed by the partners on 30th March 2026.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed shifting of the registered office may deliver or cause to be delivered or send by registered post their objections, supported by an affidavit stating the nature of their interest and grounds of opposition, to the Registrar of Companies, Delhi, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019, within 21 days from the date of publication of this notice, with a copy to the LLP at its registered office address mentioned above.

For and on behalf of Egrowth Technologies LLP
Sd/-
Brij Kishore Anand
Date:17.04.2026 Designated Partner
Place: New Delhi DIN: 00149638

UGRO **यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड**
चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी करता हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार मांग नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील किया जा रहा है। मांग नोटिस की सामग्री इस प्रकार है:

कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
1) मोहन दे स्वादिष्ट पकोड़े 2) मोहन कुमार, 3) उमेश कुमार 4) चिरंजीव कुमार लैन – HCFDELSEC00001046270	**मांग सूचना तिथि 09.04.2026** रु. 31,09,913/- (रु. इकतीस लाख नौ हजार नौ सौ तेरह मात्र) दिनांक 07.04.2026 तक
सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान नंबर 5-एच-42, क्षेत्रफल 85 वर्ग गज, न्यू टाउनशिप, तहसील बड़खल और जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित। सीमाएं: उत्तर – रोड 60, दक्षिण – मकान नंबर 5-एच-26, पूर्व – मकान नंबर 5-एच-41, पश्चिम – मकान नंबर 5-एच-43	

उधारकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि वे मांग सूचना का पालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, विलंब भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और खर्च सहित, मांग राशि का भुगतान करें। उधारकर्ता यह ध्यान रख सकते हैं कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के साथ उधारकर्ता द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।
यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना शामिल है, लेकिन यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित संपत्ति का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपचार यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपचारों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र है।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को वापस छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, उधारकर्ता को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बेचने, पट्टे (लीज) पर देने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) से प्रतिबंधित/वर्जित किया जाता है। उपरोक्त का पालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और यदि ऋणकर्ता चाहें, तो वे इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक : 17.04.2026 , स्थान : दिल्ली **हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) यूग्रो कैपिटल लिमिटेड**

कब्जा सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV (नियम-8(1)) कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, यहां उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित उधारकर्ता(ओं) को एक मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।
तत्पश्चात, इसमें उल्लिखित समनुदेशक ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, स्वयं के रूप में या नीचे उल्लिखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, समनुदेशित कर दिया है (जिसे इसके बाद "ईएआरसी" के रूप में संदर्भित किया गया है)। तदनुसार, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निष्पादित समनुदेशन समझौतों के अनुसरण में, ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में, समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्व और हित, अंतर्निहित सुरक्षा हितों गारंटी और गिरवी के साथ अब ईएआरसी में निहित हो गए हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।
उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि को ले लिया है।

क्र. सं.	असाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	राशि और मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	कब्जे का प्रकार
1.	**एडलवाइस** हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	**EARC Trust SC – 447**	LDEL0HL000 0070337	1) ऋषि पाल शर्मा (ऋणकर्ता) 2) मिथिलेश देवी शर्मा (सह-ऋणकर्ता) और 3) लिब्रा सॉल्यूशंस (सह-ऋणकर्ता)	रुपये 85,33,056.26/- (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार छप्पन और पैसे छब्बीस मात्र) और 17-01-2023	15.04.2026	भौतिक कब्जा

संपत्ति का विवरणः सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि पहली मंजिल, दाईं ओर, छत के अधिकारों के बिना, क्षेत्रफल 111.48 वर्ग मीटर, (उक्त मंजिल), उत्तरी हिस्से पर निर्मित, क्षेत्रफल 220 वर्ग गज, (उक्त हिस्सा), मकान सं. 1/23 का भाग, क्षेत्रफल 637.16 वर्ग मीटर, सेक्टर – 5, राजेंद्र नगर, तहसील और जिला, गाजियाबाद प्लॉट सं. 1/23 की सीमाएं –पूर्वः 40 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट सं. 13 और 14, उत्तरः प्लॉट सं. 22, दक्षिणः 60 फुट चौड़ी सड़क

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

स्थानः गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक 17.04.2026 **कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

Edelweiss
Asset Reconstruction

ARKA **अर्का फिनकैप लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालयः 2504, 25वीं मंजिल, एक लोढ़ा स्थान, सेनापति बापट मार्ग, निचला परेल, मुंबई – 400013 महाराष्ट्र, भारत

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

मैं, अधोहस्ताक्षरी अर्का फिनकैप लिमिटेड ("एएफएल") का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) को निम्नलिखित नोटिस देता हूं, जो जानबूझकर अपनी कानूनी और संविदात्मक देयता (देयताओं) का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, यानी ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक की है यानी मूलधन के साथ-साथ अर्का फिनकैप लिमिटेड द्वारा उन्हें अग्रिम/प्रदान की गई संपत्ति के खिलाफ ऋण के तहत उस पर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्क और उसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के लागू विनियमों के अनुसार एएफएल की पुस्तकों में उक्त ऋण (ऋण) गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) बन गए हैं। तदनुसार, उन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुननर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और उसके नियमों (सरफेसी अधिनियम) के तहत पंजीकृत डाक के माध्यम से उनके अंतिम ज्ञात पते पर मांग नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से उन सभी को नोटिस नहीं दिए जा सके। इस प्रकार उक्त उधारकर्ता(ओं) को इस मांग नोटिस के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे एएफएल के पक्ष में उनके द्वारा बनाई गई प्रतिभूतियों के खिलाफ एएफएल से लिए गए संपत्ति सुविधा (आईओ) के खिलाफ ऋण के तहत अपने पूरे बकाया का भुगतान करें, जिसका विवरण यहां निर्दिष्ट किया गया है:

ऋण खाता नं.	कर्जदार का विवरण	सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस विवरण और एनपीए तिथि
2002020464 & 2002020533	ऋणकर्ता मेसर्स हेमकुंट कार एक्सेसरीज सह-ऋणकर्ताः 1. श्री तनप्रीत सिंह 2. श्रीमती दविंदर कौर	सम्पत्ति-1 – सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान सं. 1, भूतल, (सामने के कोने की तरफ) साथ में बेसमेंट नीचे का क्षेत्र, संपत्ति सं. बी-1/34, ब्लॉक-बी, लाजपत नगर-1 नई दिल्ली – 110024 और जिसकी सीमाएं: पूर्वः संपत्ति संख्या बी-1/34 का हिस्सा, पश्चिमः बगल की सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः निजी दुकान संख्या 2 और सम्पत्ति – 2 – सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान सं. 2, भूतल, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति सं. बी-1/34, ब्लॉक-बी, लाजपत नगर-1 नई दिल्ली-110024 और जिसकी सीमाएं: पूर्व : संपत्ति का शेष भाग, पश्चिम : 30 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर : संपत्ति का शेष भाग/भाग सं. 3, दक्षिणः संपत्ति का शेष भाग/भाग सं. 1	रुपये **1,78,56,620.17/-** (रु. एक करोड़ अठ्ठत्तर लाख छप्पन हजार छह सौ बीस और पैसे सत्रह मात्र) मांग नोटिस की तारीख : 13.04.2026 एनपीए की तारीख : 05.04.2026

उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित सभी राशियों का भुगतान अन्य शुल्कों के साथ करें, जिसमें विफल रहने पर (ऋण समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के तहत एएफएल के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बिना किसी सीमा के ऊपर निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों/गिरवी रखी गई संपत्तियों पर कब्जा करने और बकाया ऋण राशियों की वसूली के लिए बाद में बिक्री/नीलामी के लिए आगे के कदम सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के प्रावधानों के तहत शुरू किए जाएंगे। उपरोक्त पक्षों औरध्या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी सलाह दी जाती है कि वे इसे न बेचें, हस्तांतरण, निपटान, हस्तांतरण, भार, भारित और/या उपर्युक्त सुरक्षित संपत्तियों में किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार या हित का सृजन एएफएल के पक्ष में पहली बार अनन्य शुल्क के आधार पर है।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। आपसे यह भी नोट करने का अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको एएफएल की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों/गिरवी रखी गई संपत्तियों के निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।
कोई भी व्यक्ति जो सरफेसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसका उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड सहित सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
अनुवाद में विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

स्थानः दिल्ली एसडी/-
तिथिः 17.04.2026 अधिकृत अधिकारी
अर्का फिनकैप लिमिटेड

A Kirloskar Group Company
The mark 'Kirloskar' in the status line is owned by Kirloskar Proprietary Limited and ARKA Fincap Limited is the permitted user.

ADITYA BIRLA CAPITAL **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः आरटेक पार्क, 12वीं मंजिल, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, ऑफ-वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, गोरेगांव पूर्व मुंबई-400 063

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित (''नियम'') वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत(''अधिनियम'')

दिनांक 11.03.2024 की विलय योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच विलय के कारण, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण - अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उल्लिखित बंधक संपत्ति के संबंध में शुरू की गई सभी सरफैसी कार्रवाइयां, विलय की गई कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो गई हैं।
अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने हेतु माँग सूचना निर्गत की।
अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि कर्जदार मांग सूचना की तामील से बच रहे हैं, तथापि सूचना की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर एवं प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धत की गई है:
उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त कर्जदार/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि को संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर एबीसीएल को उनके संबंधित नामों के समक्ष नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है, साथ ही नीचे कॉलम (डी) में उल्लिखित संबंधित तिथियों से भुगतान एवं वसूली की तिथि तक कर्जदार द्वारा निष्पादित ऋण समझौते एवं अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। ऋण के उचित पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(यों) को क्रमशः कर्जदार द्वारा एबीसीएल को बंधक रखा गया है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों) का नाम एवं पता	माँग सूचना तथा एनपीए की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण
1	1. मेसर्स एम्पायर प्लाईवुड अपने प्रोपराइटर अयाज अहमद के माध्यम से, एस-47, साउथ साइड, जीटी रोड, लाल कुआं, गाजियाबाद-201009 इसके अलावाः मैसर्स एम्पायर प्लाईवुड अपने मालिक अयाज अहमद के माध्यम से, हाउस नगर पालिका नं. डब्ल्यू/13/86, प्लॉट नं. 48, खसरा नं. 561 मौहल्ला त्रिलोकीपुरम, हापुड-245101, 2. श्री अयाज अहमद पुत्र इरशाद अहमद, 2225(1), 3, त्रिलोकीपुरम, हापुड-245101. इसके अलावाः श्री अयाज अहमद पुत्र इरशाद अहमद, हाउस नगर पालिका नं. डब्ल्यू/13/86, प्लॉट नं. 48, खसरा नं. 561 मौहल्ला त्रिलोकीपुरम, हापुड-245101. 3. श्रीमती सायरा बानो पत्नी इरशाद अहमद, 2225(1), 3. त्रिलोकीपुरम, हापुड-24510, मो.-7060636353, इसके अलावाः श्रीमती सायरा बानो पत्नी इरशाद अहमद हाउस नगर पालिका नं. डब्ल्यू/13/86, प्लॉट नं. 48, खसरा नं. 561 मौहल्ला त्रिलोकीपुरम, हापुड-245101. ऋण खाता संख्या ABNDSTS000000823087 और ABNDSTS000000823104	07-04-2026 और 05-04-2026 कुल बकाया राशि - रु. 70,05,593/- (रुपये सत्तर लाख पाँच हजार पाँच सौ तिरानवे मात्र) दिनांक 07-04-2026 तक	एक तीन मंज़िला रिहायशी मकान का पूरा हिस्सा, जिसका नगर पालिका नंबर डब्ल्यू/13/86 है। इसका क्षेत्रफल 137.33 वर्ग गज (यानी 114.86 वर्ग मीटर) है। यह मकान प्लॉट नंबर 48 पर बना है, जो खसरा नंबर 561 के अंतर्गत आता है। यह मोहल्ला त्रिलोकपुरम, हापुड़, तहसील और ज़िला हापुड़ में स्थित है। इसकी माप और सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः 24 फीट / प्लॉट नंबर 33 पर स्थित मकान; पश्चिमः 24 फीट / 15 फीट चौड़ा रास्ता; उत्तरः 51 फीट 6 इंच / प्लॉट नंबर 49 पर मासूम अली (बुंदू खान के बेटे) का मकान; दक्षिणः 51 फीट 6 इंच / प्लॉट नंबर 47 पर शबनम (अबरार अहमद की पत्नी) का मकान।
2	1. श्री प्रमोद मंगला पुत्र देविकी नंदन, मकान नं0-446बी/12, खन्ना वाली गली नं. मिशन स्कूल जकूबपुरा फर्रुखनगर, मानेसर, गुड़गांव – 122001. इसके अलावाः श्री प्रमोद मंगला पुत्र देवीकी नंदन दुकान नंबर 0.411/3, मनोहर स्ट्रीट, रोशनपुरा, गुड़गांव-122001, 2. श्रीमती पुष्पा पत्नी प्रमोद मंगला, मकान नंबर-446बी/12, खन्ना वाली गली मिशन स्कूल जकूबपुरा फर्रुखनगर, मानेसर, गुड़गांव – 122001, मो.-9716962566, इसके अलावाः श्रीमती पुष्पा पत्नी प्रमोद मंगला दुकान नं0.411/3, मनोहर स्ट्रीट रोशनपुरा, गुड़गांव-122001, 3. श्री संचित मंगला पुत्र प्रमोद मंगला, मकान नं.-446बी/12, खन्ना वाली गली, निकट मिशन स्कूल जकूबपुरा, फर्रुखनगर, मानेसर, गुड़गांव – 122001, मो.-9315742600, इसके अलावाः श्री संचित मंगला पुत्र प्रमोद मंगला, दुकान नंबर 0.411/3, मनोहर स्ट्रीट, रोशनपुरा, गुड़गांव-122001 ऋण खाता संख्या ABNDSTS000000576530 एवं ABNDSTS000000803776	08-04-2025 और 05-04-2026 कुल बकाया राशि - रु. 38,37,784.43/- (रुपये अड़तीस लाख सैंतीस हजार सात सौ चौरासी और तैंतालीस पैसे मात्र) दिनांक 07-04-2026 तक	दुकान नंबर 411/3 का पूरा हिस्सा, इसका क्षेत्रफल 17 वर्ग गज है और कवर्ड एरिया (ढका हुआ क्षेत्र) 200 वर्ग फीट है। यह मनोहर स्ट्रीट, रोशनपुरा की आबादी, गुड़गांव, तहसील और ज़िला गुड़गांव (हदूद कमेटी गुड़गांव, हरियाणा के अंतर्गत) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व – 15'6"; महेंद्र कुमार गुप्ता की संपत्ति; पश्चिम – 15; जय प्रकाश का प्लॉट; उत्तर – 9'10"; महेंद्र कुमार गुप्ता की संपत्ति; दक्षिण – 9'10"; गली।
3	1. मैसर्स फ्रंटियर क्लॉथ हाउस गवर्नमेंट एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर, इसके प्रोपराइटर, गुरुचरण सिंह कुकरेजा के माध्यम से, 01, सदर बाजार, चकराता देहरादून-248123. इसके अलावाः मैसर्स फ्रंटियर क्लॉथ हाउस गवर्नमेंट एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर इसके प्रोपराइटर गुरुचरण सिंह कुकरेजा नगर निगम नंबर 65/55 (पुराना नं. 50) ग्राउंड फ्लोर शॉप, नेशविले रोड सी.एच.बिहारी लाल मार्ग, डीह राडू एन-248001, उत्तराखंड, 2. गुरु चरण सिंह कुकरेजा पुत्र दर्शन सिंह कुकरेजा, गोदाम नं. 01, कैंट क्वार्टर, सदर बाजार चकराता, देहरादून – 248123, मो. – 8755005565, ईमेल-GURUCHARANSINGHKUKREJA13@GMAIL.COM, इसके अलावाः गुरु चरण सिंह कुकरेजा पुत्र दर्शन सिंह कुकरेजा, नगर निगम नं.65/55 (पुराना नं. 50) ग्राउंड फ्लोर शॉप, नेशविले रोड सी.एच. बिहारी लाल मार्ग, डीह राडू एन-248001, उत्तराखंड, 3. आशीष कुकरेजा पुत्र गुरु चरण सिंह कुकरेजा, गोदाम नं. 01, कैंट क्वार्टर, सदर बाजार, चकराता, देहरादून-248123, मो.-9997330307, इसके अलावाः आशीष कुकरेजा पुत्र गुरु चरण सिंह कुकरेजा, नगर निगम नंबर 65/55 (पुराना नंबर 0.50) ग्राउंड फ्लोर शॉप, नेशविले रोड सी.एच.बिहारी लाल मार्ग, देहरादून-248001, उत्तराखंड। ऋण खाता संख्या ABDHRSTS000000842091	08-04-2026 और 05-04-2026 कुल बकाया राशि - रु. 81,16,227.15/- (रुपये इक्यासी लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस और पंद्रह पैसे) दिनांक 07-04-2026 तक	ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक दुकान। यह संपत्ति म्युनिसिपल नंबर 65/55 (पुराना नंबर 50) के अंतर्गत आती है। यह नेशविले रोड (चौधरी बिहारी लाल मार्ग), देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। इसका जमीन का क्षेत्रफल 94.57 वर्ग मीटर है, जिसमें कवर्ड एरिया 59.82 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व – कपिल खन्ना की संपत्ति; पश्चिम – दुर्गा देवी की संपत्ति; उत्तर – दुर्गा देवी की संपत्ति; दक्षिण – नेशविले रोड।

अतिरिक्त ब्याज सहित, ऊपर उल्लिखित संबंधित माँग सूचना में विशेष रूप से बताई गई दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक हुए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि। यदि उक्त कर्जदार उपरोक्त अनुसार एबीसीएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो एबीसीएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं प्रयोज्य नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त कर्जदार/ विधिक उत्तराधिकारी(यों)/ विधिक प्रतिनिधियों के जोखिम पर लागत और परिणामों के संबंध में आगे बढ़ेगा।
उक्त कर्जदार/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के तहत एबीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के अनुसार यह अंतिम नोटिस है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि एबीसीएल को कर्जदारों के विरुद्ध ऊपर उल्लिखित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होगा, जो पूरी तरह से उनके जोखिम, उत्तरदायित्व एवं लागत पर होगा।

तिथिः 17.04.2026, स्थान : लखनऊ **प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266
कॉर्पोरेट कार्यालय : आरटेक पार्क, 12वीं मंजिल, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, ऑफ-वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, गोरेगांव पूर्व मुंबई-400 063

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित (''नियम'') वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत(''अधिनियम'')

दिनांक 11.03.2024 की विलय योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच विलय के कारण, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण – अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उल्लिखित बंधक संपत्ति के संबंध में शुरू की गई सभी सरफैसी कार्रवाइयां, विलय की गई कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो गई हैं।
अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने हेतु माँग सूचना निर्गत की। अधोहस्ताक्षरी का मानना ??है कि कर्जदार मांग सूचना की तामील से बच रहे हैं, तथापि सूचना की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर एवं प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धत की गई है:
उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त कर्जदार/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि को संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर एबीसीएल को उनके संबंधित नामों के समक्ष नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है, साथ ही नीचे कॉलम (डी) में उल्लिखित संबंधित तिथियों से भुगतान एवं वसूली की तिथि तक कर्जदार द्वारा निष्पादित ऋण समझौते एवं अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। ऋण के उचित पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(यों) को क्रमशः कर्जदार द्वारा एबीसीएल को बंधक रखा गया है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों) का नाम एवं पता	माँग सूचना तथा एनपीए की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण
1	**1. मैसर्स खान टिम्बर्स, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से (जो अब दिवंगत हैं, उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से)**, यूपी ऑयल मिल्स के सामने, गुड शेड रोड, ऐशबाग, लखनऊ-226004, मो.-9451090453. **पता साथ हीः मैसर्स खान टिम्बर्स, अपने प्रोपराइटर के माध्यम से (जो अब दिवंगत हैं, उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से)**, जमीन का प्लॉट नंबर-279, मालगोदाम रोड, ऐशबाग, लखनऊ-226004. **2. श्री मोहम्मद अकरम खान, पुत्र श्री मोहम्मद इरफान अली (जो अब दिवंगत हैं, उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से)**, 268/617, मालगोदाम रोड, ऐशबाग बाजारखाला, राजेंद्रनगर, लखनऊ – 226004. **पता साथ हीः श्री मोहम्मद अकरम खान, पुत्र श्री मोहम्मद इरफान अली (जो अब दिवंगत हैं, उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से)**, जमीन का प्लॉट नंबर-279, मालगोदाम रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226004. **3. श्रीमती रिजवा खान, पत्नी श्री मोहम्मद अकरम खान**, 268/617, मालगोदाम रोड, ऐशबाग बाजारखाला, राजेंद्रनगर, लखनऊ – 226004, मो.-8960922786. **पता साथ हीः श्रीमती रिजवा खान, पत्नी श्री मोहम्मद अकरम खान**, 266/186, विक्टोरिया स्ट्रीट, भाडेवां, लखनऊ-226004. **पता साथ हीः श्रीमती रिजवा खान, पत्नी श्री मोहम्मद अकरम खान**, जमीन का प्लॉट नंबर-279, मालगोदाम रोड, ऐशबाग, लखनऊ-226004. **4. सुश्री बुशरा खान (दिवंगत मो. अकरम खान की कानूनी वारिस और प्रतिनिधि के तौर पर)** 268/617, मालगोदाम रोड, ऐशबाग बाजारखाला, राजेंद्रनगर, लखनऊ – 226004, और **साथ हीः सुश्री बुशरा खान (दिवंगत मो. अकरम खान की कानूनी वारिस और प्रतिनिधि के तौर पर)** जमीन का प्लॉट नंबर-279, मालगोदाम रोड, ऐशबाग, लखनऊ-226004, **5. श्रीमती रिजवा खान (दिवंगत मो. अकरम खान की कानूनी वारिस और प्रतिनिधि के तौर पर)**, 268/617, मालगोदाम रोड, ऐशबाग बाजारखाला, राजेंद्रनगर, लखनऊ – 226004। और **साथ हीः श्रीमती रिजवा खान (दिवंगत मो. अकरम खान की कानूनी वारिस और प्रतिनिधि के तौर पर)** जमीन का प्लॉट नंबर-279, मालगोदाम रोड, ऐशबाग, लखनऊ-226004. **ऋण खाता संख्या – ABLNWSTS000000737341**	08-04-2026 **तथा** 05-04-2026 **कुल बकाया राशि** रु.. 44,77,999.84/- (रुपये चौवालीस लाख सतहत्तर हजार नौ सौ निन्यानबे और चौरासी पैसे मात्र) तिथि 07-04-2026 तक	प्लॉट संख्या-279 का एक हिस्सा, जिस पर निर्माण कार्य मौजूद है, जो मालगोदाम रोड, ऐशबाग, वार्ड- मालवीय नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226004 में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 100.371 वर्ग मीटर है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व – रेलवे गोदाम, पश्चिम – 12 मीटर चौड़ी मालगोदाम रोड, उत्तर – मोहित शुक्ला की संपत्ति, दक्षिण – 10 फुट चौड़ी गली।

अतिरिक्त ब्याज सहित, ऊपर उल्लिखित संबंधित माँग सूचना में विशेष रूप से बताई गई दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक हुए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि। यदि उक्त कर्जदार उपरोक्त अनुसार एबीसीएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो एबीसीएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं प्रयोज्य नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त कर्जदार/ विधिक उत्तराधिकारी(यों)/ विधिक प्रतिनिधियों के जोखिम पर लागत और परिणामों के संबंध में आगे बढ़ेगा।
उक्त कर्जदार/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के तहत एबीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के अनुसार यह अंतिम नोटिस है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि एबीसीएल को कर्जदारों के विरुद्ध ऊपर उल्लिखित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होगा, जो पूरी तरह से उनके जोखिम, उत्तरदायित्व एवं लागत पर होगा।

तिथिः 17.04.2026, स्थान : लखनऊ **प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय–इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात– 362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः आर टेक पार्क, 12वीं मंजिल, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, हबमॉल के पास, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई–400 063,

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित।

दिनांक 11.03.2024 की विलय योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच हुए विलय के कारण, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण – अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में शुरू की गई सभी सरफेसी कार्रवाईयाँ, एकीकृत कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो जाती हैं।
तदनुसार, अधिनियम के तहत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहा है/रहे हैं, इसलिए नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई हैः उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) को संबंधित सूचना/सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर एबीसीएल को उनके संबंधित नामों के सामने नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही नीचे कॉलम (डी) में उल्लिखित संबंधित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पढ़ा जाए, तथा अतिरिक्त ब्याज का भुगतान भी करना होगा। ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित संपत्ति(एँ) क्रमशः उक्त उधारकर्ता द्वारा एबीसीएल को गिरवी रखी गई हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) का नाम और पता	मांग सूचना तिथि और एनपीए की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण
1	1. मेसर्स न्यू एसएस रोलिंग शटर इंजीनियरिंग वर्क्स, इसके मालिक श्री सिराज के माध्यम से, 4564, मणि की खोठी का रास्ता, लाडाना हाउस के सामने पुरानी कोतवाली, सांगानेरी गेट, चौकड़ी घाट गेट, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान – 302003। अन्य पतेः मेसर्स न्यू एसएस रोलिंग शटर इंजीनियरिंग वर्क्स, इसके मालिक श्री सिराज के माध्यम से, दुकान संख्या 74, 102 और 103 मिश्रा मार्केट, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान– 302003। अन्य पतेः मेसर्स न्यू एसएस रोलिंग शटर इंजीनियरिंग वर्क्स, इसके मालिक श्री सिराज के माध्यम से, दुकान संख्या 51, मिश्रा मार्केट, सां. गानेरी गेट, आगरा रोड, जयपुर– 302003। संपर्कः 9829438417। 2. श्रीमान सिराज पुत्र नासिर अहमद, 4564, मणि की खोठी का रास्ता, लाडाना हाउस के सामने, पुरानी कोतवाली, सांगानेरी गेट, चौकड़ी घाट गेट, जौहरीबाजार, जयपुर, राजस्थान – 302003. मोबाइल नंबरः– 9829438417, ईमेलः –Sirajquershi79602@Gmail.Com.. इसके अलावाः श्री सिराज पुत्र नासिर अहमद, दुकान नंबर 74, 102 और 103 मिश्रा मार्केट, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान 302003, 3.श्रीमती तम्मो पत्नी सिराज क्वेरशी, 4564, मणि की खोठी का रास्ता, लदाना हाउस के सामने, पुरानी कोतवाली, सांगानेरी गेट, चौकड़ी घाट गेट, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान – 302003, मोबाइल नंबर – 8949924195। इसके अलावाः श्रीमती तम्मो पत्नी सिराज क्वर्शी, दुकान नंबर 74, 102 और 103 मिश्रा मार्केट, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान302003। **ऋण खाता संख्या – ABFLJAIDSB0000122424**	08-04-2026 और 05-04-2026 —— **कुल बकाया राशि राशि –** रु. **20,77,287.96/–** (बीस लाख सत्तरह हजार दो सौ सत्तासी रुपये और छियानवे पैसे केवल) दिनांक 07-04-2026 तक	संपत्ति संख्या 1 – दुकान संख्या 74, मिश्रा मार्केट, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका माप 9.29 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः दुकान संख्या 75, पश्चिमः दुकान संख्या 73, उत्तरः दुकान संख्या 103, दक्षिणः सड़क। संपत्ति संख्या 2 – दुकान संख्या 102, मिश्रा मार्केट, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका माप 9.29 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः दुकान संख्या 103, उत्तरः सड़क, दक्षिणः दुकान संख्या 75। संपत्ति संख्या 3 – दुकान संख्या 103, मिश्रा मार्केट, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका माप 9.29 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः दुकान संख्या 102, पश्चिमः दुकान संख्या 104, उत्तरः सड़क, दक्षिणः दुकान संख्या 74।
2	1. मेसर्स विकास माली अपने मालिक श्री विकास माली, के माध्यम से। बजरंग चौराहा के पास 100 फीट रोड, शिव मोटर्स, राजसमंद राजस्थान – 313324. 2. श्री विकास माली पुत्र ओघासी लाल माली, 100 फीट रोड, बजरंग चौराहे के पास, राजसमंद, कांकरोली, राजस्थान – 313324, मोबाइलः–8302111177, ईमेलः – **VIKASMALI1177@GMAIL.COM**। 3. श्री मीठालाल माली पुत्र चंपा लाल माली, 100 फीट। रोड, भिक्षुविलिनियम राजनगर, राजसमंद, कांकरोली, राजस्थान –313324। मोबाइलः– 9950481177, 4.श्रीमती मिट्ठू पत्नी गैसी लाल माली, 100 फीट रोड भिक्षु विलिनियम राजनगर, राजसमंद, कांक. रोली, राजस्थान – 313324, मोबाइलः– 7014635263। **ऋण खाता संख्या ABNRSTS000000885441**	07-04-2026 और 05-04-2026 ———— कुल बकाया राशि राशि – रूप्ये 86,38,481.74/– (सिर्फ छियासी लाख अड़तीस हजार चार सौ इक्यासी रुपये और चौहत्तर पैसे) दिनांक 07-04-2026 तक	संपत्ति का वह संपूर्ण भाग और टुकड़ा जो पट्टा संख्या 22/94, पट्टा संख्या 23/94, पट्टा संख्या 1014 और पट्टा संख्या 1015, आराजी संख्या 141, प्लॉट संख्या 1 और 2, राजस्व ग्राम राजनगर, जिला – राजसमंद में स्थित है, कुल क्षेत्रफल 13647 वर्ग फुट है। जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्वः बद्री लाल की भूमि, आराजी संख्या 140, पश्चिमः बालूराम, ताराचंद आदि की भूमि, आराजी संख्या 143, उत्तरः 50 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः नाकोड़ा विहार कॉलोनी के प्लॉट / रंगलाल कोठारी की भूमि

अतिरिक्त ब्याज के साथ, ऊपर उल्लिखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक हुए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि। यदि उक्त ऋणी एबीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो एबीसीएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसका जोखिम पूरी तरह से उक्त ऋणी/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) के लागत और परिणामों के संबंध में होगा।
उक्त अधिनियम के तहत, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्य किसी भी माध्यम से, उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने की मनाही है। कृपया ध्यान दें कि यह वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के तहत एक अंतिम सूचना है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के विरुद्ध उपरोक्त किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार पूरी तरह से उनके जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर होगा।

दिनांकः 17.04..2026 , स्थानः राजस्थान **प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

SAVE **सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः यूनिट संख्या 782, सातवाँ तल, वेगस मॉल, प्लॉट संख्या 6, सेक्टर 14, द्वारका, नई दिल्ली – 110075. वेबसाइट : **https://www.savefinance.in**
सम्पर्क व्यक्ति : पिंटू कुमार ठाकुर +91 9810744438

''परिशिष्ट-IV-A'' [नियम 8(6) का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जिसका कब्जा सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, की निम्नलिखित कर्जदार(रों), जमानती(यों) एवं कॉर्पोरेट जमानती(यों) से प्रतिभूत लेनदारों को देय राशि की वसूली हेतु ''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वही है'' के आधार 05.05.2026 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा की जाने वाली धरोहर राशि क्रमशः नीचे वर्णित है।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती(यों) का नाम एवं पता तथा ऋण संख्या	आरक्षित मूल्य (आरपी)	ज.ध.रा. मूल्य	वृद्धि मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
(1) ललित कुमार तुली पुत्र रमेश चंद्र तुली (2) वंदना तुली पत्नी ललित कुमार तुली दोनों निवासीः मकान नंबर 650, पॉकेट 1, पश्चिम पुरी, पश्चिम विहार, पश्चिमी दिल्ली-110063, साथ हीः संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड-58-ए, दुकान संख्या 3-ए, भूतल, खसरा संख्या 42 का भाग, लाल डोरा आबादी, ग्राम जवाला हेरी, बालकिशन कॉम्प्लेक्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली – 110063 **ऋण संख्याः LOANAGUR0000067**	रु. 8,00,000/-	रु. 80,000/-	रु. 25,000/-	**30-04-2026 से 30-04-2026 को 10 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.**
	ज.ध.रा. जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 04-05-2026 को 12.00 बजे अप. तक			**ई-नीलामी की तिथि एवं समय :** 05-05-2026 को 10 बजे पूर्वा. से – 12 बजे अप. (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
	मांग सूचना के अनुसार वसूली राशिः रु. 22,02,945.51/- तिथि 27.01.2024 तक			
दुकान संख्या 3-ए, भूतल पर, छत/टेरेस एवं बेसमेंट के अधिकार के बिना, आकार 9.9'x3.6' तथा ऊँचाई 10, संपूर्ण फ्रीहोल्ड संपत्ति का भाग, नगर निगम संख्या डब्ल्यूजेड-58, खसरा संख्या 42 का भाग, लाल डोरा आबादी, 1908-09, ज्वाला हेरी गाँव, नई दिल्ली 110063 के क्षेत्र में स्थित। सीमाएँ:- उत्तरः प्लॉट संख्या डब्ल्यूजेड-57, दक्षिणः प्लॉट संख्या डब्ल्यूजेड-59, पूर्वः सड़क 20 फीट, पश्चिमः हॉल एवं मकान। **(कब्जे का प्रकार – भौतिक कब्जा)**				

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती(यों) का नाम एवं पता तथा ऋण संख्या	आरक्षित मूल्य (आरपी)	ज.ध.रा. मूल्य	वृद्धि मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
(1) राजेन्द्र सिंह पुत्र पूरन सिंह (2) पूनम सिंह पत्नी राजेंद्र सिंह दोनों निवासीः जी-135 एफएफ जी ब्लॉक ओखला फेज-2, हरकेश नगर, ओखला मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली -110020 साथ हीः राप्पुटा मैक्सिमम प्रा. लिमिटेड, अपने निदेशक के माध्यम से, बी-2/3, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 ऋण संख्याः LOANAGUR0000024	रु. 43,00,000/-	रु. 4,30,000/-	रु. 25,000/-	**30-04-2026 से 30-04-2026 को 10 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.**
	ज.ध.रा. जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 04-05-2026 को 12.00 बजे अप. तक			ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 05-05-2026 को 10 बजे पूर्वा. से – 12 बजे अप. (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
	मांग सूचना के अनुसार वसूली राशिः रु. 50,47,704/- तिथि 30.01.2024 तक			
संपत्तियों का विवरण और स्वामीः- वह संपूर्ण संपत्ति जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर स्थित पूरी दुकान (दुकान संख्या 3-ए) शामिल है, जिसमें छत/टेरेस और बेसमेंट के अधिकार शामिल नहीं हैं। इसका आकार 9.9"3.6 और ऊँचाई 10 है। यह संपूर्ण फ्रीहोल्ड संपत्ति का एक हिस्सा है, जिसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नंबर डब्ल्यूजेड-58 है। यह खसरा संख्या 42 का हिस्सा है, जो 1908-09 की 'लाल डोरा आबादी' क्षेत्र में आता है। यह संपत्ति गाँव ज्वाला हेड़ी, नई दिल्ली 110063 के क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तरः प्लॉट संख्या डब्ल्यूजेड-57, दक्षिणः प्लॉट संख्या डब्ल्यूजेड-59, पूर्वः 20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिमः हॉल और मकान (कब्जे का प्रकार – भौतिक)				

ईएमडी राशि ''सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड'' के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। बैंक खाता संख्याः 184305000395, बैंक का नामः आईसीआईसीआई बैंक, आईएफएससी कोडः ICIC0001809, शाखाः शहीद रोड।
ईएमडी जमा करने तथा बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथिः https://xpertauction.com पर 04.05.2026 को 12:00 बजे अप. तक। ईएमडी राशि घटाकर अंतिम क्रय मूल्य का शेष 25% , सफल बोलीदाता द्वारा अगले कार्यदिवस तक आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ई-नीलामी खाते में जमा किया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अंतिम क्रय का शेष 75% नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपरोक्त ई-नीलामी खाते में जमा किया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को अग्रिम राशि की वापसी 5 कार्यदिवसों के भीतर बोली प्रपत्र में उनके द्वारा उल्लिखित खाता संख्या में ही की जाएगी। नियम व शर्तें ई-नीलामी ''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वही है'' के आधार ''ऑनलाइन'' आयोजित की जा रही है। नीलामी सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स नवोदयन प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड (XpertARC™) के माध्यम से वेब पोर्टल https://xpertauction.com पर आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम व शर्तें https://xpertauction.com पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व एवं संपत्ति/यों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोलीदाता ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स नवोदयन प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड (XpertARC™) से हेल्पलाइन नंबरः +91 7710100505, ई-मेल eauctions@xpertauction.com, संपर्क व्यक्तिः सुश्री प्रगति सिंह, +91 98189 97856 तथा +91 72100 29933 एवं ई-मेल eauctions@xpertauction.com पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अंग्रेजी एवं हिंदी में प्रकाशित नीलामी सूचना के बीच किसी भी विसंगति/असंगति के विषय में अंग्रेजी में प्रकाशित सूचना की सामग्री मान्य होगी। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे।
बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी।
सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

दिनांकः 17.04.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः दिल्ली **सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**